[illegible]ी–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 18/2011

वकील सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
30.04.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के आदेश ज्ञापांक 186, दिनांक 13.01.2011 के विरूद्व दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 08.12.2010 को 12:25 बजे अपराह्न में वकील सिंह, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–39/2007,सा0–अरना, पचायत–अरना, थाना–मशरक, प्रखंड–मशरक की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल (श्री रमण कुमार ओझा, कार्यापालक दण्डाधिकारी, मढौरा एवं अंचल अधिकारी, मशरक) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बंद पाई गई तथा विक्रेता दुकान से अनुपस्थित थे। (2) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नही था। (३) विक्रेता की अनुपस्थित के कारण स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जांच नही की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के धर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागज जांच हेंतु प्रस्तुत नही किया गया। (4) विक्रेता के धर के अन्य सदस्य के द्वारा भंडारण के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नही दिखाया गया।	

उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 3456, दिनांक 08.12.2010 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता प्रतिदिन समय से अपनी दुकान खोलता एवं बंद करता है। निरीक्षण की तिथि 08.12.2014 को विक्रेता अंत्योदय के खाद्यान्न का ड्राफ्ट बनाने के लिए सेन्ट्रल बैक ऑफ इन्डिया गया हुआ था, जिसमें उसे पुरे दिन का समय लग गया। जांच कार्य में असहयोग करने के लिए उसके द्वारा जान बुझ कर दुकान बंद नही रखा गया था। चुँकि दुकान की चाभी विक्रेता की जेब में थी, इस लिए परिवार के सदस्यों के द्वारा दूकान खोलकर भंडार दिखाना और कागजात जॉचाज प्रस्तुत करना संभव नही हो पाया। विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका संधारित किया जाता है, जॉच की तिथि को भी उसके द्वारा ऐसा किया गया था, लेकिन हो सकता है कि लिखावट के हल्का होने की वजह से दिखाई न दिया हो। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण नियमित रूप से किया जाता है। इनकी दूकान की सभी कागजात अघतन है, जिसकी प्रति अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया था, जिसका सम्यक परिसीलन किए बिना अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। जांच के क्रम में कोई भी प्रतिकूल बिन्दु यदि पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि उसके संबंध में कारण पृच्छा किया जाए, न कि उसे आधार बनाकर कठोर आदेश पारित कर दिया जाए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई

है। यदि किसी कारण वश विक्रेता को कही जाना हो तो इसकी पूर्व अनुमति नियंत्री पदाधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही, निर्धारित कार्य अवधि में दूकान का संचालन किसी प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा कराया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 186, दिनांक 13.01.2011) में अंकित किया गया है कि विक्रेता से प्राप्त कागजातों की जांच के कम में विक्रेता के विरुद्ध कई गंभीर अनियमतताए पाई गई, जिसे आधार बनाकर यह आदेश पारित किया गया। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि इन अनियमतताओं के संबंध में विक्रेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता से पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 282 /न्यायालय, दिनांक 02/05/2015

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण